

12.125  
2/9/05

भारत सरकार प्रशासनिक विभाग  
R-10718 को प्राप्त।  
13/8/04



प्रभारी  
शासनिक विवरण पत्र

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. — 1450  
R.M. — 30  
Deptt — 1200  
CPB — 280

सं. 323]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2004/श्रावण 11, 1926

No. 323]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2004/SHRAVANA 11, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2004

पूरा किया

प्रभारी  
शा. वि. एकक

सा. का. नि. 490(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 है।  
(2) ये 2 अगस्त, 2004 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'खाता' से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा खोला गया कोई बचत खाता अभिप्रेत है ;

(ख) 'अधिनियम' से सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है ;

(ग) 'जमा' से इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी खाते में जमा किया गया धन अभिप्रेत है ;

(घ) 'जमाकर्ता' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है -

- जिसने इन नियमों के उपबंधों के अधीन कोई खाता खोलने की तारीख को साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, और उसके द्वारा या उसकी ओर से इन नियमों के अधीन किसी खाते में धन जमा किया जाता है ;

(ii) जिसने इन नियमों के अधीन कोई खाता खोलने की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक, किंतु 60 वर्ष से कम की आयु प्राप्त कर ली है, और जो स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम या किसी विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त हो गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उस व्यक्ति ने सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर खाता खोला है और नियोजक से स्वेच्छया या विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति फायदे, नियोजक के साथ धारित नियोजन, ऐसे नियोजन की अवधि सहित सेवानिवृत्ति के तथ्य उपदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र आवेदन पत्र (प्ररूप-क) के साथ संलग्न है।

(ड) 'जमा कार्यालय' से भारत में ऐसा कोई डाकघर अभिप्रेत है, जो बचत बैंक कार्य कर रहा है और महानिदेशक, डाक द्वारा इन नियमों के अधीन कोई खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है ;

(च) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है।

3. खाता खोलना :-- (1) कोई जमाकर्ता किसी जमा कार्यालय में आयु के सबूत सहित प्ररूप-घ में जमा पर्ची के अनुसार जमा की रकम सहित प्ररूप-क में आवेदन करके कोई खाता खोल सकेगा।

(2) कोई जमाकर्ता इन नियमों के अधीन एक से अधिक खाता प्रचालित कर सकेगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सभी खातों में कुल मिलाकर जमा नियम 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा ;

परन्तु किसी कैलेंडर मास के दौरान उसी जमा कार्यालय में एक से अधिक खाता नहीं खोला जाएगा।

(3) जमाकर्ता व्यक्ति रूप से या पति अथवा पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकेगा/ सकेगी।

4. जमा करना और वापस लेना : (1) खाते में एक हजार रूपए के गुणकों में पन्द्रह लाख रूपए से अनधिक का केवल एक जमा होगा।

(2) जैसाकि नियम 9 में उपबंधित है, के सिवाय कोई खाता खोले जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व इन नियमों के अधीन कोई वापसी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(3) जमाकर्ता उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट के अनुसार पांच वर्ष की परिपक्वता अवधि के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर जमा कार्यालय में प्ररूप ख में कोई आवेदन करके खाते को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के अधीन खाते का विस्तारण आवेदन की तारीख को ध्यान में लाए बिना परिपक्वता की तारीख से किया गया समझा जाएगा।

(4) जमा कार्यालय जैसे ही उसकी जानकारी में यह आता है कि कोई जमा उपनियम (1) के अधीन विहित अधिकतम सीमा से अधिक है, जमाकर्ता से लिखित में तुरंत अधिक जमा को वापस लेने का अनुरोध कर सकेगा।

5. **जमा की रीति** : (1) इन नियमों के अधीन जमा निम्नलिखित रूप में किया जा सकेगा :

(क) नकद में, यदि जमा की रकम एक लाख रूपए से कम है।

(ख) जमाकर्ता के पक्ष में देय चेक या मांगपत्र द्वारा और जमा कार्यालय के पक्ष में पृष्ठांकित करके।

(2) जहां जमा चेक या मांगपत्र द्वारा किया गया है, इन नियमों के अधीन जमा की तारीख चेक या मांगपत्र के भुनाए जाने की तारीख होगी।

(3) जहां जमा किसी बाह्य स्थान के चेक या मांगपत्र द्वारा किया जाता है वहां विहित दर पर संग्रहण प्रभार जमा के साथ संदेय होंगे और चेक या मांगपत्र भुनाए जाने की तारीख जमा की तारीख होगी।

6. **नामनिर्देशन** : (1) जमाकर्ता इन नियमों के अधीन खाता खोलते समय जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशित करेगा, जो खाते में शोध्द संदाय के हकदार होगा/ होंगे।

(2) यदि ऐसा नामनिर्देशन खाता खोलने के समय नहीं किया जाता है, तो इसे जमाकर्ता द्वारा खाता खोले जाने के पश्चात् किसी भी समय किंतु उसके बंद होने से पूर्व प्ररूप -ग में किसी आवेदन द्वारा जमा कार्यालय में पासबुक सहित किया जा सकेगा।

(3) जमाकर्ता द्वारा किया गया नामनिर्देशन उस जमा कार्यालय में जिसमें खाता है, प्ररूप ग में नए सिरे से नामनिर्देशन करके रद्द किया जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा।

(4) संयुक्त खाते की दशा में भी नामनिर्देशन करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथापि ऐसे मामले में संयुक्त धारक प्रथम व्यक्ति होगा, जो जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में संदेय रकम प्राप्त करने का हकदार होगा और नामनिर्देशिती का दावा जमाकर्ता और संयुक्त धारक दोनों की मृत्यु के पश्चात् उद्भूत होगा।

**स्पष्टीकरण** : संयुक्त खाता या जहां नामनिर्देशिती मात्र पति या पत्नी है, की दशा में, नियम 8 के उपनियम (3) के नीचे परन्तुक के अनुसार पति या पत्नी खाता चालू रख सकेगा/ सकेगी।

(5) संयुक्त खाते की दशा में या उस दशा में जहां पति या पत्नी मात्र नामनिर्देशिती हैं, पति या पत्नी जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात् उपनियम (2) से उपनियम(4) के अनुसार पहले किए गए नामनिर्देशन को रद्द करने या परिवर्तित करने का हकदार होगा / होगी।

(6) प्रत्येक नामनिर्देशन और उसका प्रत्येक रद्दकरण या परिवर्तन जमा कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से विधिमान्य होगा और उसकी विशिष्टियां पासबुक में दर्ज की जाएगी।

7. **जमा पर ब्याज :** (1) इन नियमों के अधीन किए गए जमा पर ब्याज वार्षिक दर जमा करने की तारीख से नौ प्रतिशत होगी।

(2) ब्याज पहली बार, यथास्थिति जमा की तारीख से 31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितंबर / 31 दिसंबर को संदेय होगी और तत्पश्चात् ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को संदेय होगा।

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय की कोई तारीख रविवार या किसी अवकाश दिन को है, तो ब्याज के संदाय के प्रयोजन के लिए गत कार्य दिवस ही देय तारीख समझी जाएगी।

(4) यदि ऐसा प्राधिकृत किया जाए, तो उपनियम (2) में, यथा विनिर्दिष्ट तारीखों को संदेय ब्याज उस जमा कार्यालय में जिसमें खाता विद्यमान है जमाकर्ता के बचत खाते में इस शर्त के अधीन रहते हुए जमा की जाएगी, कि इस प्रकार जमा की गई ब्याज की रकम, बचत खाते में ऐसे जमा किए जाने पर जमा की अधिकतम सीमा, यदि कोई हो, से अधिक नहीं है।

(5) यदि जमाकर्ता द्वारा प्रत्येक तिमाही को संदेय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है तो ऐसे ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होगा।

(6) ब्याज को एक रुपये के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की रकम को एक रुपये के रूप में समझा जायेगा और पचास पैसे से कम की रकम की उपेक्षा की जायेगी।

(7) नियम 4 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिक रकम पर समय - समय पर डाकघर बचत खाता पर लागू दर से ब्याज होगा और ऐसा ब्याज उस मास के पूर्वगामी मास के अंत में अधिक जमा रकम की तारीख से संदेय होगा जिसको जमा कार्यालय अधिक्य रकम वापस लेने के लिए निवेदन करेगा, जमाकर्ता को पहले ही संदत्त अधिक्य ब्याज की रकम, यदि कोई हो, कटौती की जायेगी।

(8) नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन परिपक्वता के पश्चात् खाता जारी रहने की दशा में ऐसे खाते में जमा पर परिपक्वता की तारीख को इन नियमों के उपबंधों के अधीन खोले गए नए खाते या खोले जाने वाले खाता पर लागू दर पर ब्याज अर्जित होगा।

(9) नियम 8 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार किसी समय पर कोई खाता परिपक्व होने पर नहीं जारी रखा जाता है और किसी समय बंद कर दिया जाता है, की दशा में तो समय-समय डाकघर बचत खाते के अधीन खातों को यथालागू दर पर पश्च परिपक्व

ब्याज, खाते के बंद करने के मास के पूर्वगामी मास के अंत तक ऐसे परिपक्व जमा पर संदेय होगा ।

8. खाता बंद करना :- (1) खाता के खोले जाने के समय किर्ये गये जमा को, जमा कार्यालय जहां जमाकर्ता का खाता है प्ररूप - ड पर लिखित आवेदन (वापसी प्ररूप) द्वारा संलग्न पास बुक प्रस्तुत किये जाने पर खाते के खोले जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर या उसके पश्चात्, संदत्त किया जायेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परिपक्वता पर, जमाकर्ता के खाता बंद नहीं करने और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन खाते को जारी भी नहीं रखने की दशा में, खाते को परिपक्व हुआ समझा जाएगा और जमाकर्ता उस शर्त के अधीन रहते हुए, जिसमें नियम 7 के उपनियम (10) के अधीन यथाविहित पश्च परिपक्व ब्याज परिपक्वता से परे की अवधि केवल ग्राह्य होगा, खाता को किसी भी समय बंद करने का हकदार होगा ।

(3) परिपक्वता के पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में, खाता बंद कर दिया जायेगा और उस मास जिसको प्रतिदाय किया जाता है, प्ररूप - च में किसी आवेदन पर जमा राशि का प्रतिदाय नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को पूर्व मास के अंत तक ब्याज सहित किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नामनिर्देशिती भी नहीं रहता है या नियम 6 में यथा उपबंधित नामनिर्देशन नहीं किया गया है :-

परंतु संयुक्त खाते की दशा में, जहां पति या पत्नी अकेला नामनिर्देशिती है वहां पति या पत्नी इन नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर खाता जारी रख सकेगा :

परंतु यह और कि यदि पति या पत्नी संयुक्त खाता जारी नहीं रखने की दशा में, वहां प्ररूप - च में आवेदन किए जाने पर खाता बंद कर दिया जायेगा और उपरोक्तानुसार ब्याज सहित जमा का प्रतिदाय किया जाएगा ।

(4) जहाँ जमाकर्ता की मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन नहीं रहता है वहां मृतक जमाकर्ता के नाम जमा रकम, जमाकर्ता कार्यालय द्वारा जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के उपबंधों के अधीन जारी मृतक जमाकर्ता की प्रबोट की गई वसीयत की अनुप्रमाणित प्रति के साथ प्रशासन पत्र के साथ प्ररूप - च में किसी आवेदन की प्राप्ति पर मृतक जमाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा ।

परंतु प्ररूप च के उपाबंधों के प्ररूपों में (i) क्षतिपूर्ति का पत्र (ii) शपथ पत्र (iii) शपथ पत्र पर दावा त्याग पत्र (iv) स्टॉप पेपर पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत किए जाने पर एक लाख तक की संदेय कुल रकम जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, विधिक उत्तराधिकारी को संदत्त किया जा सकेगा ।

(5) जमाकर्ता की मृत्यु के कारण किसी समय किसी खाते के अपरिपक्व रूप से बंद होने की दशा में, नियम 9 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

9. खाते का समयपूर्व बंद होना :- (1) नियम 4 के उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संबंध में जमाकर्ता को जमा राशि वापिस लिए जाने की और खाता खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी अर्थात्:-

(क) यदि खाता, खाता खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तथा दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व बंद किया जाता है तो जमा की गई रकम के डेढ़ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती की जायेगी और शेष जमाकर्ता को संदत्त कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि खाता खोले जाने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति पर या उसके पश्चात् खाता बंद किया जाता है तो जमा की गई रकम का एक प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जायेगी और शेष जमाकर्ता को संदत्त कर दिया जायेगा ।

(2) नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन खाते के विस्तार की सुविधा का लाभ लेने वाला जमाकर्ता विस्तार की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय बिना किसी कटौती के जमा को वापस लेने या खाते को बंद करे करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

10. पास बुक :- (1) किसी खाते के खोलने पर, जमाकर्ता को तत्काल एक पास बुक दी जाएगी जिसके साथ जमा पर्ची की जमाकर्ता प्रति (प्ररूप - घ) जमाकर्ता कार्यालय द्वारा समान रूप से मुद्रांकित और हस्ताक्षरित होगी जो इस बात का प्रमाण होगी कि रकम जमाकर्ता को प्राप्त हो गई है । पास बुक में खाता खोलने की तारीख, खाता संख्या, जमाकर्ता का नाम, फोटो (संयुक्त खाते की दशा में पति और पत्नी का नाम और फोटो) और पता, जमा रकम, त्रैमासिक ब्याज के साथ भुगतान की देय तारीख, वह तारीख जिसको जमा अंतिम भुगतान के लिए देय होगा, किसी अभिकर्ता द्वारा खाते को प्रस्तुत करने की दशा में, अभिकर्ता का नाम, अभिकर्ता कोड संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता दर्शाएगी ।

परंतु यदि जमा चेक या मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया गया है, तो जमाकर्ता को पासबुक चेक या मांग देय ड्राफ्ट के भुनाने के पश्चात् नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन उपबंधित रीति में दी जायेगी ।

(2) जमाकर्ता नियम 7 के उपनियम (4) के अधीन बचत खाते में ब्याज के जमा की सुविधा का लाभ लेता है उसे प्रविष्टियों को पूरा करने के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार जमा कार्यालय को पास बुक देनी होगी ।

(3) जमाकर्ता नियम 7 के उपनियम (4) के अधीन बचत खाते में ब्याज के जमा की सुविधा का लाभ नहीं लेता है, परंतु त्रैमासिक ब्याज को लेने के समय जमा कार्यालय में पास बुक प्रस्तुत करनी होगी ।

(4) मूल पास बुक के खो जाने, या विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में, पास बुक की द्वितीय प्रति सादे कागज पर साधारण प्रार्थना पत्र पर पहली बार पास बुक की द्वितीय प्रति जारी करने की दशा में दस रुपये की फीस और पश्चातवर्ती मामलों में बीस रुपये के भुगतान पर जारी की जा सकेगी। पास बुक की दूसरी प्रति (प्रतियाँ) को जमा कार्यालय द्वारा आफिस के अभिलेखों में जिसमें खाता पन्ना जिसमें की खाते के विशिष्टियाँ हैं, में नोट कर लिया जायेगा।

(5) पास बुक की द्वितीय प्रति जारी हो जाने के पश्चात् खोई हुई पास बुक मिल जाने की दशा में, वह किसी प्रयोजन के लिए विधिमान्य नहीं मानी जायेगी और उसे जमा कार्यालय को तत्काल अभ्यर्पण करना होगा जिसे जमाकर्ता की उपस्थिति में तत्काल नष्ट कर दी जायेगी।

11. खाते का एक जमा कार्यालय से अन्य में अंतरण :- कोई जमाकर्ता प्ररूप - छ के साथ पास बुक संलग्न करते हुए, अपने खाते को अपने निवास स्थान के परिवर्तन की दशा में दूसरे जमा कार्यालय को अंतरित किये जाने का आवेदन कर सकेगा।

परंतु जहां जमा एक लाख रुपये या अधिक है, जमा के अंतरण की फीस पांच रुपये प्रति लाख संदेय होगी।

12. नियमों के उल्लंघन में खाते का खोला जाना :- ज्योंही यह जानकारी में आता है कि कोई खाता इन नियमों के उल्लंघन में खोला गया है, खाते को तत्काल बंद कर दिया जायेगा और ब्याज की वसूली के पश्चात्, यदि कोई हो, जो ऐसे जमा को संदाय की गई है खाते में जमा, जमाकर्ता को वापस कर दी जायेगी।

13. अनिवासी भारतीय (एन.आर .आई) और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ) द्वारा जमा :-

(1) इन नियमों के अधीन अनिवासी भारतीय कोई खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि इन नियमों अधीन, कोई जमाकर्ता करेंसी के खाते के दौरान अनिवासी भारतीय हो जाता है तो उसका खाता असंप्रत्यावर्तन के आधार पर परिपक्वता तक जारी रह सकेगा और खाते को अनिवासी खाते के रूप में चिह्नित कर दिया जायेगा।

परंतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक के अधीन खाता जारी रह सकेगा, नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन में उपबंधित रीति से किसी और अवधि के लिए विस्तारित नहीं किया जायेगा।

(2) इन नियमों के अधीन अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब भी कोई खाता खोलने के पात्र नहीं होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी उपबंध के प्रवर्तन से जमाकर्ता को अनुचित रूप से कठिनाई होती है, वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए, अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हुए बिना उस उपबन्ध की अपेक्षा से आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

प्ररूप - क

(नियम 2 का खंड (ख) और नियम 3 का उप-नियम (1) देखिए)

क्रम सं. ....

## वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन

सेवा में,

डाकपाल/भारसाधक,

.....(जमा कार्यालय का नाम)

.....  
.....नवीन फोटो की एक प्रति यहां  
चिपकाएं (संयुक्त खाते की दशा में  
जमाकर्ता और पति या पत्नी दोनों  
का

\* अभिकर्ता का नाम (अभिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में).....

अभिकरण कोड सं. .... तारीख ..... तक विधिमाम्य

आवेदक का स्थायी लेखा सं. .... \*\*

श्रीमान,

1. मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... का स्थायी निवासी हूँ आयु ..... वर्ष ,  
वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अपने नाम में/अपने नाम  
और अपने पति या अपनी पत्नी के नाम में संयुक्ततः ..... (आयु सहित पति या पत्नी का नाम व  
पता) एक खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ खाते में जमा के लिए ..... रुपए (..... रुपए)  
नकद/चेक/डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया हूँ। विशेषतः संलग्न संदाय पर्ची (प्रत्येक) में भरी हुई है।

2. मैं/हम\* घोषणा करता हूँ/करते हैं कि,-

(i) मैंने/हमने\* उक्त स्कीम के अधीन खातों को शासित करने वाले वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 समय-समय पर  
यथासंशोधित (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) को स्पष्ट तौर पर समझ लिया है ;

(ii) मैं/हम\* उक्त नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा/करेंगे ;

(iii) उक्त स्कीम के अधीन मेरे/हमारे\* द्वारा पूर्व में खोले गए अन्य खातों के बारे में निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	जमाकर्ता(ओं) का नाम और खाते का प्रकार (संयुक्त)	जमा कार्यालय का नाम और पता	खाता खोलने की तारीख सहित खाता सं.	जमा की रकम
1				
2				
3				

(iv) मैं/हम\*, मेरे/हमारे\* द्वारा एक साथ खोले गए सभी खातों में जमाओं को लेते हुए, जैसा नियम 4 में विनिर्दिष्ट है और  
समय-समय पर संशोधित किया गया है, जमाओं पर अधिकतम सीमा का पालन करेंगे। यदि किसी भी समय कोई अधिक जमा  
पाया जाता है तो ऐसे अधिक जमा का, नियम 7 के उपनियम (8) के अधीन अधिक ब्याज की बसुली के पश्चात्, मुझे/हमें  
प्रतिदाय कर दिया जाएगा।3. मैं, नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता हूँ, जिनको, सभी अन्य व्यक्तियों को छोड़कर, मेरी मृत्यु  
हो जाने की दशा में, खाते में मेरे नाम में देय रकम नियम 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संदेय होगी :

क्रम सं.	जमाकर्ता के साथ नातेदारी सहित नामनिर्देशिती(यों) का/के नाम	स्थायी पता	अवयस्क/अन्य मामले(लें) में आयु की दशा में, नामनिर्देशिती (यों) की जन्म की तारीख(खें)	संदेय रकम में नामनिर्देशिती (यों) का अंश



3(क) चूंकि उपरोक्त क्रम सं. .... पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं, मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ..... [ प्रत्येक अवयस्क नामनिर्देशिती की बाबत व्यक्ति(यो) का/के स्थायी पता/पते सहित नाम] को नामनिर्देशिती (यो) की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त खाते के अधीन शोध्य राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान

साक्षी (हस्ताक्षर, नाम और पता) :

1. ....

2. .... तारीख ..... स्थान .....

मेरे/हमारे नमूना हस्ताक्षर (अंगूठा निशान) निम्नवत हैं :-

(i) प्रथम जमाकर्ता :-

1. .... 2. .... 3. ....

(ii)\* संयुक्त जमाकर्ता

1. .... 2. .... 3. ....

# साक्षी ..... # साक्षी ..... # साक्षी .....

(प्रतिहस्ताक्षरित डाकपाल/भारसाधक) (प्रतिहस्ताक्षरित डाकपाल/भारसाधक) (प्रतिहस्ताक्षरित डाकपाल/भारसाधक)

तारीख ..... और कार्यालय की मुद्रा तारीख ..... और कार्यालय की मुद्रा तारीख ..... और कार्यालय की मुद्रा.....

4. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसमें उमर दिए गए आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यदि किसी भी समय कोई भी जानकारी और /या घोषणा मिथ्या पाई जाती है, तो जमाओं पर कोई ब्याज मुझे/हमें\* संदेय नहीं होगा, जमा कार्यालय खाते (तो) को बंद कर दूंगा और जमाओं पर ~~सबसे~~ ही संदेय ब्याज की, यदि कोई हो, वसूली के पश्चात् जमाओं का प्रतिदाय करूंगा।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख .....

(वर्तमान डाक पता)

स्थान .....

संलग्नक :

1. आयु का सबूत।
2. यदि पैन आर्बिट्रि नहीं किया गया है तो पैन के आर्बिट्रि के लिए प्राप्त किए गए आवेदन प्ररूप की प्रति।
3. जमा की रकम सहित सम्यक्तः भरी हुई संदाय पर्ची (प्ररूप-घ)।
4. नियम 2 के खंड (घ) के उपखंड (ii) में यथातिनिर्दिष्ट नियोजक से प्रमाणपत्र।

\*: जो लागू न हो उसे काट दें।

\*: (1) ऐसे आवेदक, जिनकी आय का कर निर्धारण नहीं किया गया है, यह स्व घोषणा कर सकेंगे कि सभी स्रोतों से उनकी आय (जिसके अंतर्गत इस आवेदन के द्वारा खोले जाने वाले खाते से प्राप्त ब्याज आय भी है) छूट सीमा को पार नहीं करती है और आवेदक से समय समय पर यथासंशोधित आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन पैन अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(2) अन्य सभी आवेदक अनिवार्य रूप से पैन सं. का उल्लेख करेंगे और यदि उनको आय कर प्राधिकारियों द्वारा अभी तक पैन आर्बिट्रि नहीं किया गया है तो पैन के आर्बिट्रि के लिए प्राप्त किए गए आवेदन की अनुप्रमाणित फोटोप्रति आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न करनी चाहिए।

#: अंगूठा निशान की दशा में।

टिप्पण : (1) निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की स्व अनुप्रमाणित प्रतियां आयु के सबूत के लिए संलग्न की जा सकती है :- नगरपालिक प्राधिकारी/ग्राम पंचायत/जिला जन्म और मृत्यु-रजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड; पासपोर्ट; राशनकार्ड; ऐसे विद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था से जिसमें आवेदक अंतिम बार छात्र रहा हो, जन्म की तारीख प्रमाणपत्र या स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चलन अनुज्ञापति।

(2) संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी सत्यापन के लिए साथ साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन्हें तत्काल वापस कर दें।

**जमा कार्यालय के उपयोग के लिए**

वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 सह खाता तारीख ..... को ..... रुपए (..... रुपए) से खोला गया खाता सं. .... लेजर फोलियो सं. ....  
अभिकर्ता का नाम, अभिकरण संख्या, तारीख और विधिमाम्यता लेजर फोलियो और पास बुक में (अभिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) प्रविष्ट कर दिए गए हैं।  
पास बुक सं. .... जारी कर दी गई है  
तारीख .....

जमा कार्यालय के भारसाधक के हस्ताक्षर  
(नाम और पदनाम मुद्रा सहित)

प्ररूप ख

(नियम 4 का उपनियम (3) देखिए)

क्रम सं० .....

**वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन किसी खाते को आगे जारी रखने के लिए आवेदन**

सेवा में,

डाकपाल/भारसाधक

..... (जमा कार्यालय का नाम)

.....  
.....

**विषय : किसी खाते को (तारीख/मास/वर्ष) ..... से तीन वर्ष के लिए खाते को आगे जारी रखने के लिए आवेदन।**

महादेय,

1. मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
खाता सं० ..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खाता' कहा गया है) का एक जमाकर्ता हूँ जो वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त स्कीम' कहा गया है) के अधीन और तीन वर्ष तक जारी रखने के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ।

2. मैंने, समय-समय पर यथासंशोधित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन विस्तार की अवधि के दौरान खाते को लागू होने वाली शर्तों और निबंधनों को समझ लिया है।

3. मैं विस्तारित अवधि पूरा होने के छेक पश्चात्, खाते को बंद कर दूंगा और अधिक संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, और उक्त खाते के संबंध में वसूलनीय किसी अन्य प्रभार के समायोजन के पश्चात् मेरे खाते में मेरे नाम जमा जमा को वापस ले लूंगा।

तारीख .....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान .....

(नाम और पता)

**जमा कार्यालय के उपयोग के लिए**

खाता संख्या ..... जो तारीख ..... को ..... ₹०  
(..... रुपए) से वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खोला गया था और तारीख ..... को परिपक्व हो गया है, तारीख ..... से ..... तक तीन वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। स्कीम के अधीन परिपक्वता की तारीख को खोले गए या खोले जाने वाले नए जमाओं को लागू ..... प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर जमा की विस्तारित अवधि के दौरान लागू होगी।

तदनुसार पास बुक सं० ..... में और सुसंगत लेजर फोलियो सं० ..... में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

तारीख .....

जमा कार्यालय के भार साधक के हस्ताक्षर  
(नाम और पदनाम स्टॉप सहित)

प्ररूप ग  
(नियम 6 देखिए)

क्रम सं० .....

वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन नामनिर्देशन/नामनिर्देशन के परिवर्तन/रद्दकरण के लिए आवेदन  
सेवा में

डाकपाल/भारसाधक

..... (जमा कार्यालय का नाम)

.....  
.....

**विषय : नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के परिवर्तन/रद्दकरण के लिए आवेदन ।**

महादेय,

1. \* मैं, ..... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता/करती हूँ जिन्हें, अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करके, मेरी मृत्यु की दशा में, खाता संख्या ..... में मेरे नाम बकाया रकम, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के नियम 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संदेय होगी ।

क्रम सं०	जमाकर्ता के साथ नातेदारी सहित नामनिर्देशिती का (नामनिर्देशितियों के) नाम	स्थायी पता	अव्यस्क नामनिर्देशिती की दशा में जन्म की तारीख/ अन्य दशा (दशाओं) में आयु	संदेय रकम में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का अंश

2. \* चूंकि ऊपर क्रम संख्यांक ..... पर उल्लिखित नामनिर्देशिती अव्यस्क है/हैं, इसलिए मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (प्रत्येक अव्यस्क नामनिर्देशिती की बाबत व्यक्ति/व्यक्तियों के पूरे नाम और पूरे पते) को, नामनिर्देशित/नामनिर्देशितियों की अव्यस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते में शौच्य राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ ।

3. \* यह मेरे द्वारा, मेरे आवेदन तारीख ..... द्वारा खाता खोलते समय पहले किए गए नामनिर्देशन (नामनिर्देशनों) के अधिक्रमण में है ।

4. \* मैं, ..... मेरे तारीख ..... के आवेदन द्वारा मेरे द्वारा पूर्व में किए गए नामनिर्देशन को रद्द करने का अनुरोध करता हूँ ।

**साक्षी (हस्ताक्षर, नाम और पता) :**

1. ....

2. ....

**जमाकर्ता के हस्ताक्षर**

(नाम और पता)

तारीख ..... स्थान .....

**\* जो लागू न हो, उसे काट दें ।**

**जमा कार्यालय के उपयोग के लिए**

उपरोक्त नामनिर्देशन तारीख ..... को रजिस्ट्रीकृत किया गया है, और/या तारीख ..... के पहले के नामनिर्देशन को परिवर्तित/रद्द कर दिया गया है ।

तदनुसार पास बुक (सं० ..... ) में और सुसंगत लेजर फ़ोलियों सं० ..... में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

तारीख .....

जमा कार्यालय के भार साधक के हस्ताक्षर  
(नाम और पदनाम स्टांप सहित)

प्ररूप - घ  
(नियम 3 का उपनियम (1) और नियम 10 देखिए)

क्रम संख्या.....

जमाओं के लिए संदायपत्रों  
वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन

प्रतिपत्र (1)		प्रतिपत्र (2)	
जमाकर्ता की प्रति		जमाकर्ता की प्रति	
जमा कार्यालय का नाम		जमा कार्यालय का नाम	
जमाकर्ता का नाम.....		जमाकर्ता का नाम.....	
पता		पता	
पिता/पति का नाम		पिता/पति का नाम	
* अभिकर्ता का नाम (अभिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अभिकरण कोर्ड सं. तारीख और विधिमान्यता सहित .....		* अभिकर्ता का नाम (अभिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अभिकरण कोर्ड सं. तारीख और विधिमान्यता सहित .....	
खाता सं..... तारीख .....		खाता सं..... तारीख .....	
(जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए)		(जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए)	
लेजर फोलियो.....(जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए)		लेजर फोलियो.....(जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए)	
जमा की रकम (रु.)#		जमा की रकम (रु.)#	
चेक/डिमांड ड्राफ्ट		चेक/डिमांड ड्राफ्ट	
वसूली प्रभार (रु.)##		वसूली प्रभार (रु.)##	
खाता अंतरण फीस (रु.)##		खाता अंतरण फीस (रु.)##	
दूसरी पास बुक जारी करने के लिए फीस (रु.)##		दूसरी पास बुक जारी करने के लिए फीस (रु.)##	
अन्य प्रभार, यदि कोई हो(रु.)##		अन्य प्रभार, यदि कोई हो(रु.)##	
कुल रकम (रु.)		कुल रकम (रु.)	
कुल रकम शब्दों में (रु.....)		कुल रकम शब्दों में (रु.....)	
नकद जमा के ब्यौरे	रकम	नकद जमा के ब्यौरे	रकम
1000 x		1000 x	
500 x		500 x	
100 x		100 x	
50 x		50 x	
20 x		20 x	
10 x		10 x	
05 x		05 x	
02 x		02 x	
01 x		01 x	
सिक्के		सिक्के	
योग (नकद)		योग (नकद)	
चेक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख		चेक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख	
.....		.....	
बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है		बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है	
रकम (रुपए)		रकम (रुपए)	
(जमाकर्ता के हस्ताक्षर)..... द्वारा		(जमाकर्ता के हस्ताक्षर)..... द्वारा	
(कृपया पृष्ठ उलटें)		(कृपया पृष्ठ उलटें)	

पूर्व पृष्ठ से .....

पूर्व पृष्ठ से .....

जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए	जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए
<p>सरकारी खाते का शीर्ष ( जमा कार्यालय द्वारा प्रविष्ट किया जाए ) # /###.....</p> <p>.....</p> <p>जमा के लिए खाता सं० .....जिसमें ऊपर दिए गए ब्योरों के अनुसार .....रु०(.....रुपए ) प्राप्त किए । * ..... रु० ( .....रुपए) # /### का जमा का ..... प्रतिशत की दर पर अभिकर्ता का कमीशन स्रोत पर (रसीद सहित) संदत्त कर दिया गया है । कोषाध्यक्ष की सूची सं० .....</p> <p>कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम और कार्यालय मुद्रा सहित) जमा कार्यालय का पर्यवेक्षक/भारसाधक कार्यालय की मुद्रा सहित</p>	<p>सरकारी खाते का शीर्ष ( जमा कार्यालय द्वारा प्रविष्ट किया जाए ) # /###.....</p> <p>.....</p> <p>जमा के लिए खाता सं० .....जिसमें ऊपर दिए गए ब्योरों के अनुसार .....रु०(.....रुपए ) प्राप्त किए । * ..... रु० ( .....रुपए) # /### का जमा का ..... प्रतिशत की दर पर अभिकर्ता का कमीशन स्रोत पर (रसीद सहित) संदत्त कर दिया गया है । कोषाध्यक्ष की सूची सं० .....</p> <p>कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम और कार्यालय मुद्रा सहित) जमा कार्यालय का पर्यवेक्षक/भारसाधक कार्यालय की मुद्रा सहित</p>
<p>टिप्पण: 1. चैक/डिमांड ड्राफ्ट जमा कार्यालय के पक्ष में या सम्यकतः जमा कार्यालय के पक्ष में पृष्ठांकित जमाकर्ता के पक्ष में होना चाहिए ।</p> <p>2. चैक/डिमांड ड्राफ्ट आगमों की वसूली के अध्यक्षीन है । * यदि लागू न हो तो काट दें ।</p> <p># जमाओं की बाबत मुख्य शीर्ष : 8001-राष्ट्रीय बचत जमा ## विभिन्न प्रभारों की बाबत मुख्य शीर्ष : 8008-एनएसएसएफ.00.104. की आय और व्यय । अन्य आय ### अभिकर्ताओं को अभिकरण कमीशन की बाबत : 8008-एनएसएसएफ.03.104. की आय और व्यय ।</p>	<p>टिप्पण: 1. चैक/डिमांड ड्राफ्ट जमा कार्यालय के पक्ष में या सम्यकतः जमा कार्यालय के पक्ष में पृष्ठांकित जमाकर्ता के पक्ष में होना चाहिए ।</p> <p>2. चैक/डिमांड ड्राफ्ट आगमों की वसूली के अध्यक्षीन है । * यदि लागू न हो तो काट दें ।</p> <p># जमाओं की बाबत मुख्य शीर्ष : 8001-राष्ट्रीय बचत जमा ## विभिन्न प्रभारों की बाबत मुख्य शीर्ष : 8008-एनएसएसएफ.00.104. की आय और व्यय । अन्य आय ### अभिकर्ताओं को अभिकरण कमीशन की बाबत : 8008-एनएसएसएफ.03.104. की आय और व्यय ।</p>

प्ररूप - ड

(नियम 8 का उप-नियम (1) और नियम 9 देखिए)

क्रम सं. ....

वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खाते से निकासी/ उसको बंद करने के लिए आवेदन सेवा में,

डाकपाल/भारसाधक,

.....(जमा कार्यालय का नाम)

विषय : खाते से निकासी/उसे बंद करने के लिए आवेदन

श्रीमान्,

1. मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ..... और खाता सं. (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खाता' कहा गया है) ..... का/की जमाकर्ता उक्त खाते को तत्काल प्रभाव से बन्द करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ। ..... रु. ब्याज के और ..... रु. जमा के हैं जिसका कुल योग (ब्याज + जमा)..... रु. (..... रुपए) है। अधिसदत्त ब्याज और/या कटौती के समायोजन के पश्चात् जमा के..... प्रतिशत के बराबर है जिसका कुल योग ..... रु. (..... रुपए) है और प्रश्नगत खाते के संबंध में मुझसे वसूलनीय कोई अन्य प्रभार मुझे तत्काल प्रतिदाय किए जाएं।

2. पासबुक बंद की जाती है जमाकर्ता के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा

जमा कार्यालय के उपयोग के लिए

खाता सं. .... जमा की तारीख ..... जमा की रकम : ..... रु. .... ब्याज ..... रु. और मूलधन ..... रु. जिसका कुल योग ..... रु. (..... रुपए) है, मद्दे आहरण जमाकर्ता के हक में मंजूर किया जाता है।

अधिसदत्त ब्याज (यदि कोई हो) ..... रु., की वसूली कटौती, यदि कोई है ..... रु. अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट किए जाएं)..... रु. जिनका कुल योग ..... रु. (..... रुपए) समायोजित किए गए हैं।

सदत्त कुल रकम ..... रु. (..... रुपए) रु.)

रसीद

..... (जमा कार्यालय का नाम) से ..... रु. (..... रुपए) की धनराशि प्राप्त की जिसका ब्यौरा ऊपर दिया गया है।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

\* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप - च

(नियम 8 का उपनियम (3) और उपनियम (4) देखिए)

क्रम सं. ....

दंपति (संयुक्त धारक)/नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खाते को बंद करने के लिए आवेदन

सेवा में,

डाकपाल/भारसाधक

..... (जमा कार्यालय का नाम)

.....

विषय : निकासी/ खाता बंद करने के लिए आवेदन

श्रीमान्,

मैं/हम\* ..... जो स्वर्गीय....., जो वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004, खाता सं. .... का जमाकर्ता है, का पति/ की पत्नी (संयुक्तधारक)/नामनिर्देशित/विधिक वारिस हैं, उक्त खाते में मृतक के नाम बकाया संपूर्ण रकम को वापस निकालना चाहता हूँ/ चाहते हैं।

कृपया निम्नलिखित संलग्न करें -

(i) जमाकर्ता के मृत्यु के संबंध में प्रमाणपत्र।

(ii)\* जमाकर्ता द्वारा नियुक्त नामनिर्देशित/नामनिर्देशितियों श्री/श्रीमती..... और श्री और श्रीमती..... की मृत्यु के संबंध में प्रमाणपत्र।

(iii)\*\* भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के उपबंधों के अधीन जारी किए गए मृत जमाकर्ता की प्रोबेट विल की प्रमाणित प्रति के साथ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र।

(iv) जमाकर्ता की पासबुक ।

(v) # इनडेमिनिटी पत्र ।

(vi) # शपथपत्र ।

(vii) # शपथपत्र पर दावेत्याग पत्र ।

दावेदार (दावेदारों) के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा

साक्षी .....

.....(हस्ताक्षर, नाम और पता).....

तारीख .....

स्थान .....

जमा कार्यालय के उपयोग के लिए

.....रु. (..... रुपए) की निकासी मंजूर की जाती है ।

किए गए समायोजन (विनिर्दिष्ट किए जाएं) ..... रु.

(..... रुपए)

संदेय कुल रकम ..... रु.

(..... रुपए)

रसीद पर दावेदार (दावेदारों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं

हमारे दावे के संपूर्ण परिनिर्धारण पर..... (जमा कार्यालय का नाम)..... से ..... रु.

(..... रुपए) की धनराशि प्राप्त की, जिसका ब्यौरा ऊपर दिया गया है ।

दावेदार के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

\*: जो लागू न हो उसका लोप करें ।

\*\* : यदि कोई विधिमान्य नामनिर्देशन है तो उसे काट दें ।

#: 1 लाख रुपए तक के दावों के लिए नामनिर्देशन के अभाव में विधिक वारिसों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

प्ररूप - च का उपाबंध - 1

(इनडेमिनिटी पत्र)

सेवा में,

डाकपाल/भारसाधक

..... (जमा कार्यालय का नाम)

आपके संदाय के प्रतिफल में या मुझे/हमें.....(विधिक वारिस(वारिसों) के नाम) संदाय करने के लिए हुई सहमति के अनुसार ..... रु. (..... रुपए) की धनराशि जो

..... के नाम में आपके कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खाता सं.

..... में बकाया है, मृतक ..... (जमाकर्ता का नाम) की संपदा का प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

प्रस्तुत किए बिना, मैं/हम ..... और हम ..... (प्रतिभूतिदाता) अपनी ओर से और अपने

वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से आपको और आपके

उत्तराधिकारियों को ऐसे सभी दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, नुकसानियों, प्रमारों और व्ययों के विरुद्ध जो आपके द्वारा मुझे/हमें पूर्वोक्त धनराशि का संदाय करने के लिए सहमत हो जाने या संदाय करने के कारण या उसके परिणामस्वरूप उपगत हों, क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं तथा समनुदेशित करते हैं।

उसके साक्षी के रूप में हम साक्षियों की उपस्थिति में, ..... तारीख ..... को अपने हस्ताक्षर करते हैं।  
मृतक के ऊपर नामित वारिस/वारिसों द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त  
ऊपर नामित प्रतिभूतिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त (हस्ताक्षर, नाम और घते)

- 1.
- 2.

साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम और घते

- 1.
- 2.

अनुप्रमाणित किया जाता है  
नोटरी पब्लिक

प्ररूप - च का उपाबंध - 2

(शपथपत्र)

सेवा में,

डाकपाल/भारसाधक

..... (जमा कार्यालय का नाम)

मैं/हम ..... पति/ पत्नी स्वर्गीय ..... आयु ..... आयु ..... आयु  
..... पुत्र/पुत्रियां स्वर्गीय ..... निवासी ..... यह घोषणा करते हैं और  
शपथपूर्वक प्रतिज्ञान करते हैं कि :-

(1) मैं/हम मृतक ..... जिसकी मृत्यु ..... पर ..... को हो गई है, के  
एकमात्र वारिस हूँ/हैं। मैं/हम अकेले श्री/श्रीमती ..... की संपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(2) मृतक ..... ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है और इसलिए मैं/हम उक्त मृतक की संपदा के एकमात्र वारिस  
हूँ/हैं।

- 1.
- 2.
- 3.

अभिसाक्षी

सत्यापन : मैं/हम जो ऊपर नामित अभिसाक्षी हूँ/हैं, ..... (स्थान का नाम) शपथपूर्वक प्रतिज्ञान करते हुए  
यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान में सत्य हैं और इसमें कोई भी बात  
छिपाई नहीं गई है।

तारीख .....

- 1.
- 2.
- 3.

अनुप्रमाणित किया जाता है  
अध्यक्ष कमिश्नर

अभिसाक्षी



**प्ररूप ब का परिशिष्ट 3**

(शपथपत्र पर दावात्याग का पत्र)

सेवा में

डाकपाल/भारसाधक

..... (जमा कार्यालय का नाम)

मैं/हम (i), ..... पति/पत्नी .....  
निवासी .....

(ii) ..... पुत्र/पुत्री .....

(iii) ..... पुत्र/पुत्री .....

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता (करती) हूँ/करते हैं और निम्नलिखित घोषणा करता (करती) हूँ/करते हैं कि :-

(1) हम ..... अपने स्वर्गीय पिता/माता के वारिस अपने स्वयं के लिए और अपने वारिसों, निष्पादनों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों की ओर से अतिशेष ..... रूप के दावों का अतिशेष में जो हमारे माता/पिता द्वारा खोले गए खाते में, मृतक पिता/माता होने पर ..... (जमा कार्यालय का नाम) द्वारा जारी ड्राफ्ट सं० ..... तारीख ..... की वसूली के पश्चात् जमा कराए जा सकेंगे, का त्याग करते हैं और हमें जमा कार्यालय द्वारा उपर्युक्त निदेशित खाता सं० ..... में जो कुछ भी अतिशेष और उस पर प्राप्त ब्याज, यदि कोई हो, हमारे माता/पिता श्रीमती/श्री .....

1.

2.

3.

को संदाय करने में आपत्ति नहीं हैं ।

**सत्यापन :** मैं/हम, उपरोक्त अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान से सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

तारीख .....

1.

2.

3.

**अभिसाक्षी**

मैं अभिसाक्षियों को पहचानता हूँ जिसे/जिन्हें मैं वयैक्तिक रूप से जानता हूँ और जिसने/जिन्होंने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं ।

तारीख

**शपथ कमीशनर**

प्ररूप छ  
(नियम 11 देखिए)

क्रम सं० .....

वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खाते का अंतरण करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में

डाकपाल/भारसाधक

..... (जमा कार्यालय का नाम)

**विषय : दूसरे जमा कार्यालय को खाते के अंतरण के लिए आवेदन ।**

महादेय,

1. मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
निवासी ..... खाता सं० ..... का जमाकर्ता वरिष्ठ  
नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन अपना खाता संख्या ..... और उसमें जमा ..... रुपए (केवल  
..... रुपए) सहित .....  
..... (अंतरण करने वाले जमा कार्यालय नाम और पूरा पता) को अंतरण करने के  
लिए आवेदन करता हूँ ।

2. पास बुक संलग्न है ।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

साक्षी .....

..... (हस्ताक्षर, नाम और पता) .....

मेरे हस्ताक्षर नमूना/अंगूठा निशानी, अंतरक जमा कार्यालय में यथाउपलब्ध, निम्न प्रकार है :-

(i) प्रथम जमाकर्ता :-

1.  2.  3.

\* साक्षी .....

\* साक्षी .....

\* साक्षी .....

(ii) संयुक्त जमाकर्ता :-

1.  2.  3.

(प्रतिहस्ताक्षर अंतरक कार्यालय का (प्रतिहस्ताक्षर अंतरक कार्यालय का (प्रतिहस्ताक्षर अंतरक कार्यालय का  
डाकपाल/भारसाधक) डाकपाल/भारसाधक) डाकपाल/भारसाधक)

तारीख ..... और कार्यालय मोहर तारीख ..... और कार्यालय मोहर तारीख ..... और कार्यालय मोहर

..... (अंतरण करने वाले जमा कार्यालय) को प्रेषित किया गया और अभिलेख कार्यालय में  
आवश्यक प्रविष्टियां कर दी हैं ।

हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर (अंतरक जमा कार्यालय)

तारीख .....

23729/104-2B

केवल अंतरक जमा कार्यालय के प्रयोग के लिए

क. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन तारीख ..... को खोले गए खाता सं० ..... का ..... (अंतरक जमा कार्यालय का नाम और पता) की बही में जमा ..... रुपए (केवल ..... रुपए) तारीख ..... को परिपक्व होने के कारण ..... और (संयुक्त धारक, यदि कोई है) के नाम में अंतरण के लिए आवेदन प्राप्त किया।

ख. पास बुक की प्रविष्टियों की जांच कर ली गई है, अंतरण प्रदर्शित करने वाली आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं और पास बुक जमाकर्ता को लौटा दी गई हैं।

हस्ताक्षर

डाकपाल/भारसाधक

अंतरक जमा कार्यालय

(कार्यालय की मोहर सहित)

मूल रूप में पास बुक प्राप्त की

# (जमाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

तारीख .....

तारीख .....

\* : अंगूठा निशानी की दशा में

# अंतरक जमा कार्यालय में पास बुक प्राप्त होने पर हस्ताक्षर किए जाएं)

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Economic Affairs)  
**NOTIFICATION**  
New Delhi, the 2nd August, 2004

G.S.R. 490(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 ( 5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement :-** (1) These rules may be called the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the 2<sup>nd</sup> day of August, 2004.

**2. Definitions :-** In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) 'Account' means a savings account opened by the depositor in accordance with the provisions of these rules;

(b) 'Act' means the Government Savings Banks Act, 1873 ( 5 of 1873);

(c) 'deposit' means the money deposited in an account under the provisions of these rules;

(d) 'Depositor' means an individual -

(i) who has attained the age of 60 years or above on the date of opening of an account under the provisions of these rules, and by whom, or on whose behalf, money is deposited in an account under these rules, or

- (ii) who has attained the age of 55 years or more but less than 60 years, and who has retired under a voluntary retirement scheme or a special voluntary retirement scheme on the date of opening of an account under these rules, subject to the condition that the account is opened by such individual within three months of the date of retirement and a certificate from the employer, indicating the fact of retirement under such voluntary or special voluntary retirement scheme, retirement benefits, employment held alongwith period of such employment with the employer, is attached with the application form (FORM-A).
- (e) 'Deposit Office' means any post office in India doing savings bank work and authorised by Director General Posts, to open an account under these rules.
- (f) 'Form' means a form appended to these rules.
3. **Opening of account:-** (1) Any depositor may open an account at any deposit office by making an application in **FORM -A** alongwith the amount of deposit as per the pay-in-slip in **FORM-D**, duly filled in, alongwith age proof.
- (2) A depositor may operate more than one account under these rules subject to the condition that the deposits in all accounts taken together shall not exceed the maximum limit as specified under rule 4:
- Provided that more than one account shall not be opened in the same deposit office during a calendar month.
- (3) A depositor may open the account in individual capacity or jointly with spouse.
4. **Deposits and withdrawals :-** (1) There shall be only one deposit in the account in multiple of one thousand rupees not exceeding rupees fifteen lakh.
- (2) Except as provided in rule 9, no withdrawal shall be permitted under these rules before the expiry of a period of **five years** from the date of opening of an account.
- (3) The depositor may extend the account for a further period of three years by making an application in **FORM-B** to the deposit office within a period of one year after the maturity period of five years as specified in sub-rule (2).
- Explanation.-** Extension of account under this sub-rule shall be deemed to have been made from the date of maturity irrespective of the date of application.
- (4) A deposit office shall, as soon as it comes to the notice that a deposit exceeds the ceiling prescribed under sub-rule (1), request the depositor in writing, to withdraw the excess deposit immediately.
5. **Mode of deposit :-** (1) The deposit under these rules may be made:
- (a) in cash, if the amount of deposit is less than rupees one lakh.
- (b) by cheque or demand draft drawn in favour of the depositor and endorsed in favour of the deposit office, or in favour of the deposit office.
- (2) Where a deposit is made by cheque or demand draft, the date of deposit under these rules shall be the date of encashment of the cheque or demand draft.
- (3) Where a deposit is made by means of an outstation cheque or demand draft, collection charges at the prescribed rate shall be payable alongwith the deposit and the date of realisation of the cheque or demand draft shall be the date of deposit.
6. **Nomination:-** (1) The depositor may at the time of opening of the account under these rules, nominate a person or persons who, in the event of death of the depositor, shall be entitled to payment due on the account.
- (2) If such nomination is not made at the time of opening of the account, it may be made by the depositor at any time after the opening of the account but before its closure, by an application in **FORM-C**, accompanied by the pass book to the deposit office.

(3) The nomination made by the depositor may be cancelled or varied by a fresh nomination in **FORM-C** to the deposit office in which the account stands.

(4) Nomination facility shall be available in the case of joint account also. However, in such case, the joint holder will be the first person entitled to receive the amount payable in the event of death of the depositor and the nominee's claim shall arise only after the death of both the depositor and the joint holder.

**Explanation.-** In case of joint account or where the sole nominee is the spouse, the spouse may continue the account in accordance with the proviso below sub-rule (3) of rule 8.

(5) In case of a joint account or where the spouse is the sole nominee, the spouse shall also be eligible to make, cancel or vary the nomination made earlier, after the death of the depositor, in accordance with sub-rule (2) to (4).

(6) Every nomination and every cancellation or variation thereof shall be registered in the deposit office and shall be valid from the date of such registration, the particulars of which shall be entered in the pass book.

**7. Interest on deposit :- (1)** The deposit made under these rules shall bear interest at the rate of nine per cent per annum from the date of deposit.

(2) Interest shall be payable from the date of deposit to 31<sup>st</sup> March/30<sup>th</sup> June/30<sup>th</sup> September/31<sup>st</sup> December as the case may be, in the first instance and thereafter, interest shall be payable on 31<sup>st</sup> March, 30<sup>th</sup> June, 30<sup>th</sup> September and 31<sup>st</sup> December.

(3) In case any of the dates of interest payment, specified under sub-rule (2), fall on a Sunday or a holiday, the previous working day shall be deemed to be the due date for the purpose of interest payment.

(4) If so authorised, interest payable on the due dates as specified in sub rule (2), shall be credited to the depositor's savings account in the deposit office in which the account exists subject to the condition that by so credit of the interest amount, the maximum limit of deposits, if any, in the savings account, is not exceeded.

(5) If the interest payable every quarter is not claimed by a depositor, such interest will not earn additional interest.

(6) Interest shall be rounded off to the nearest multiple of rupee one and for this purpose any amount of fifty paise or more shall be treated as rupee one and any amount less than fifty paise shall be ignored.

(7) The excess amount referred to in sub-rule (4) of rule 4, shall carry interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account and such interest shall be payable from the date of deposit of excess amount to the end of the month preceding the month in which the deposit office requests the depositor to withdraw the excess amount; the amount of excess interest, if any, already paid to the depositor, shall be deducted.

(8) In case of an account, continued after maturity under sub-rule (3) of rule 4, the deposit in such account shall earn interest at the rate applicable to the new accounts opened or to be opened under the provisions of these rules on the date of maturity.

(9) In case of an account which is not extended on maturity and closed at any time as per provisions of sub-rule (2) of rule 8, **post maturity interest** at the rate, as applicable to the deposits under the Post Office Savings Account from time to time, shall be payable on such matured deposits, upto the end of the month preceding the month of closure of the account.

**8. Closure of account:- (1)** The deposit made at the time of opening of account shall be paid by the deposit office at which the account stands to the depositor on or after expiry of **five years** from the date of the opening of the account on production of the pass book accompanied by a written application (withdrawal form) in **FORM-E**.

(2) In case the depositor does not close the account on maturity as specified under sub-rule (1), and also does not extend the account under sub-rule (3) of rule 4, the account shall be treated as

matured and the depositor will be entitled to close the account at any time subject to the condition that **post maturity interest** as prescribed under sub-rule (9) of rule 7, shall only be admissible for the period beyond maturity.

(3) In case of death of a depositor before maturity, the account shall be closed and deposit refunded on an application in **FORM-F**, along with interest till the end of the month preceding the month in which refund is made, to the nominee or legal heirs in case the nominee has also expired or nomination, as provided in rule 6, was not made, as the case may be:

Provided that in case of a joint account, or where the spouse is the sole nominee, the spouse may continue the account on the same terms and conditions as specified under these rules:

Provided further that in case the spouse does not continue the joint account, the account shall be closed on an application in **FORM-F** and the deposit refunded along with interest as above.

(4) Where there is no nomination in force at the time of death of the depositor, the amount standing to the credit of the deceased depositor shall be paid by the deposit office to the legal heirs of the deceased depositor on receipt of an application in **FORM-F** along with a certificate of death of the depositor and a succession certificate or Letter of Administration with attested copy of probated will of the deceased depositor issued under the provisions of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925).

Provided that the total amount including interest, payable **upto rupees one lakh** may be paid to the legal heirs on production of (i) a letter of indemnity, (ii) an affidavit, (iii) a letter of disclaimer on affidavit, and (iv) a certificate of death of the depositor on stamped paper, in the forms as in **Annexures to Form-F**.

(5) No deduction, as specified under rule 9, shall be made in case of premature closure of an account at any time due to death of a depositor.

**9. Premature closure of account:-** (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 4, on an application in **FORM-E**, in this regard, the depositor may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of one year from the date of opening of the account subject to the following conditions, namely:-

(a) In case the account is closed after the expiry of one year but before the expiry of two years from the date of opening of the account, an amount equal to one and a half per cent of the deposit shall be deducted and the balance paid to the depositor.

(b) In case the account is closed on or after the expiry of two years from the date of opening of the account, an amount equal to one per cent of the deposit shall be deducted and the balance paid to the depositor.

(2) The depositor availing the facility of extension of account under sub-rule (3) of rule 4, may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of one year from the date of extension of the account without any deduction.

**10. Pass Book:-** (1) On opening of an account, the depositor shall be given a pass book immediately, alongwith the depositor's copy of the pay-in-slip (**Form-D**) duly stamped and signed by the deposit office in token of having received the amount of deposit. The pass book shall bear the date of opening of account, the number of the account, the depositor's name, photograph (also name and photograph of the spouse in case of joint account) and address, the amount deposited, the quarterly interest payable alongwith due dates of payment, the date on which the deposit will be due for final payment, the name(s) of the nominee(s) and agent's name, agency code number, date and validity, in case the account has been introduced through an agent:

Provided that if the deposit is made by means of a cheque or a demand draft, the pass book shall be given to the depositor only on the date of deposit after encashment of the cheque or demand draft as provided under sub-rule (2) of rule 5.

- (2) The depositor availing of the facility of credit of interest in savings account under sub-rule (4) of rule 7, shall present the pass book to the deposit office at least once in a year for completion of entries.
- (3) The depositor not availing of the facility of credit of interest in savings account under sub-rule 4 of rule 7, shall present the pass book to the deposit office at the time of collecting interest every quarter.
- (4) In case of original pass book being lost, or mutilated or damaged, a duplicate pass book may be issued on payment of a fee of rupees ten in case of issue of first duplicate pass book and rupees twenty in case of any subsequent issue, on a simple application on plain paper. The issue of duplicate pass book(s) shall be noted by the deposit office in its office records including the ledger folio bearing particulars of the account.
- (5) In case the lost pass book is found after issue of a duplicate pass book, it shall not be treated as valid for any purpose and shall be surrendered immediately to the deposit office who shall destroy the same immediately in presence of the depositor.

- 11. Transfer of account from one deposit office to another:-** A depositor may apply on **FORM-G**, enclosing the pass book thereto, for transfer of his account from one deposit office to another in case of change of residence:

Provided that where the deposit is rupees one lakh or above, a transfer fee of rupees five per lakh of deposit shall be payable.

- 12. Account opened in contravention of rules:-** Whenever it comes to notice that an account has been opened in contravention of these rules, the account shall be closed immediately and the deposit in the account, after deduction of the interest, if any, paid on such deposit, shall be refunded to the depositor.

**13. Deposits by Non-Resident Indians (NRIs) and Hindu Undivided Families (HUF):-**

- (1) The Non Resident Indians are not eligible to open an account under these rules:

Provided that if a depositor who subsequently becomes a Non-Resident Indian during the currency of the account under these rules, the account may continue till its maturity on a non-repatriation basis and the account shall be marked as a Non-Resident account:

Provided further that the account continued under the above proviso, shall not be extended for any further period as provided under sub-rule (3) of rule 4.

- (2) Hindu Undivided Family is also not eligible to open an account under these rules.

- 14. Power to relax:-** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules, causes undue hardship to the depositor, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2-8/2004-NS-II]

D. SWARUP, Secy.

**FORM-A**

(See clause (d) of rule 2 and sub rule (1) of rule 3)

Serial No.....

**APPLICATION FOR OPENING OF AN ACCOUNT UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004**

TO

**The Postmaster/Incharge**

.....(name of the Deposit office)

.....

.....

Paste here a copy of

recent

photograph.

(Joint Photograph of both the  
Depositor & Spouse in case of a  
joint account)**\*Name of Agent** (in case of the account introduced through agent).....

Agency Code No.....Dated.....valid upto.....

**PAN No. (of applicant)**.....\*\*.

Sir,

1. I, ....., son/daughter/wife of....., a permanent resident of....., aged.....years, hereby apply for opening of an account under the Senior Citizens Savings Scheme, 2004, (hereinafter referred to as the said scheme), in my name / jointly in my name and my spouse..... (name and address of spouse with age)\* and tender herewith Rs..... (Rupees.....) in cash / cheque / demand draft, the particulars of which are filled in the enclosed 'pay-in-slip'(Form-D), towards deposit in the account.

2. **I/we\* hereby declare that,-**

- (i) I/we\* have clearly understood the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 governing the accounts under the said scheme, as amended from time to time(hereinafter referred to as the said rules);
- (ii) I/we\* shall abide by the said rules in letter and spirit;
- (iii) the details of other accounts opened earlier by me/us\* under the said scheme, are as under:-

Sl. No.	Name of depositor(s) & Type of account (Individual/Joint)	Name and Address of the Deposit office	Account No. with date of opening	Amount of Deposit
1				
2				
3				

(iv) I/we\* shall adhere to the ceiling on deposits, taking the deposits in all the accounts opened by me/us\* together, as specified in rule 4 and amended from time to time. In case, at any time, any excess deposit is found, such excess deposit will be refunded to me/us\* after recovery of excess interest under sub-rule (8) of rule 7.

3. I nominate the following person / persons, mentioned below, to whom, to the exclusion of all other persons, in the event of my death the amount standing to my credit in the account would be payable in accordance with the provisions contained in rule 6:



Sl. No.	Name(s) of the nominee(s) alongwith relationship with the depositor	Permanent Address	Date(s) of birth of nominee(s) in case of a minor/ age in other case(s)	Share of the nominee(s) in the amount payable.
---------	---	-------------------	---	--

3(a) As the nominee(s) at Serial No.(s).....above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt./Kumari.....[name(s) with permanent address(es) of the person(s) in respect of each minor nominee] to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

Signature/Thumb impression of the depositor

**Witnesses(Signature, name and address):**

1.....

2.....

Date.....At (Place).....

My/our\* specimen signatures (thumb impression), are as below:-

(i) First depositor:-

1.

2.

3.

(ii) \*Joint depositor:-

1.

2.

3.

#Witness..... #Witness..... #Witness.....

(Countersigned Postmaster/Incharge) (Countersigned Postmaster/Incharge) (Countersigned Postmaster/Incharge)

Date.....& office Seal Date.....& office Seal Date.....& office Seal

4. I also declare that the information provided by me / us\* in the application hereinabove, is true to the best of my/our knowledge and belief and in case, at any time, any of the information and/or declaration is found false, no interest on the deposits shall be payable to me/us\*, the deposit office shall close the account(s) and refund the deposits after recovery of the interest, if any, already paid on the deposits.

Yours faithfully,

(Signature of the applicant)

Date.....

Place.....

(Present Postal Address)

**Enclosures:**

1. Age proof.
2. Copy of receipted application form for allotment of PAN, if PAN is not allotted.
3. Pay-in-Slip (Form-D), duly filled in alongwith amount of deposit.
4. Certificate from the employer as specified in sub-clause (ii) of clause (d) of rule 2.

\*: Score out whichever is not applicable.

\*\* : (1) The applicant(s) who are not assessed to income tax, may furnish a self declaration, that their income from all sources (including the interest income from the account to be opened vide this application) does not cross the exemption limit and the applicant is not required to obtain PAN under Income Tax Act, 1961, as amended from time to time.

(2) All other applicants shall mention the PAN No. compulsorily and in case they have not so far been allotted PAN by the Income Tax Authorities, attested photocopy of the receipted application form for allotment of PAN should be attached to the application form.

#: In case of thumb impression.

**NOTE: (1)** Self attested copies of any of the following documents can be enclosed as age proof:- Birth Certificate issued by the Municipal authority/ Gram Panchayat/District Office of the Registrar of Births and Deaths; Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; PAN Card; Passport; Ration Card; Date of birth certificate from the school last attended by the applicant or any other recognised educational institution or Driving Licence issued by the local licensing authority.

(2) Originals of the documents attached, should also be produced simultaneously for verification and return immediately.

### FOR THE USE OF DEPOSIT OFFICE

The account has been opened on.....with Rs.....(Rupees.....  
.....) under the Senior Citizens Savings Scheme, 2004.  
Account No.....Ledger folio No.....

Agent's name, agency code number, date and validity have been entered in the ledger folio as well as Pass book (in case of account introduced through agent).

Pass Book No.....has been issued.

Date.....

Signature of the Incharge of Deposit Office  
(alongwith name and designation stamp)

### FORM-B

(See sub-rule (3) of rule 4)

Serial No.....

### APPLICATION FOR EXTENSION OF AN ACCOUNT UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004

TO

The Postmaster/Incharge,

.....(name of the Deposit office)

.....

.....

**Subject:** Application for extension of an account for three years, with effect  
from.....(date/month/year).

Sir,

1. I, ....., son/daughter/wife of....., a depositor of account No. ...., (hereinafter referred to as the 'said account') hereby apply for continuation of the account under the Senior Citizens Savings Scheme, 2004 (hereinafter referred to as 'the said scheme'), for a further period of three years from the date of maturity of my above-said account.

2. I have understood the terms and conditions applicable to the account during the period of extension under the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 as amended from time to time.
3. I shall close the account immediately on completion of the extended period and get back the deposit standing at my credit in the account after adjustment of the interest paid in excess, if any, and any other charges recoverable in connection with the said account.

Date.....

Signature of the Depositor

Place.....

( name and address)

**FOR THE USE OF DEPOSIT OFFICE**

The account No..... which was opened on.....with Rs.....  
(Rupees.....) under the Senior Citizens Savings Scheme, 2004 and  
matured on....., has been extended for a period of three years with effect  
from..... to..... Rate of interest at..... per cent per annum as  
applicable under the scheme to fresh deposits opened or to be opened on the date of maturity, shall be  
applicable during the extended period of the deposit.

Necessary entries have been made in the Pass Book No..... and relevant Ledger folio  
No..... accordingly.

Date.....

Signature of the Incharge of Deposit Office  
(along with name and designation stamp)**FORM-C**  
(See rule 6)

Serial No.....

**APPLICATION FOR NOMINATION/CHANGE/CANCELLATION OF NOMINATION UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004**

TO

**The Postmaster/Incharge,**

.....(name of the Deposit office)

.....  
.....**Subject:** Application for Nomination or Change/Cancellation of Nomination.

Sir,

1.\* I,.....hereby nominate the following person / persons, mentioned below, to whom, to the exclusion of all other persons, in the event of my death the amount standing to my credit in the account No.....would be payable in accordance with the provisions contained in rule 6 of Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004.

Sl. No.	Name(s) of the nominee(s) alongwith relationship with the depositor(s)	Permanent Address	Date(s) of birth of nominee(s) in case of a minor/ age in other case(s)	Share of the nominee(s) in the amount payable.

2.\* As the nominee(s) at Serial No.(s).....above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt./Kumari.....[name(s) in full with complete address(es) of the person(s) in respect of each minor nominee] to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

3.\* This is in supercession of the nomination(s), made by me earlier at the time of opening of account/ vide my application dated.....

4.\* I....., hereby request to cancel the nomination made by me earlier vide my application dated.....

**Witnesses (Signature, name and address):**

1.....

2.....

**Signature of the depositor**  
(Name and address)

Date.....At (Place).....

\*Score out whichever is not applicable.

**FOR THE USE OF DEPOSIT OFFICE**

The above nomination has been registered on..... AND/OR the earlier nomination dated.....has been changed/cancelled.

Necessary entries have been made in the Pass Book (No.....) and relevant Ledger folio No..... accordingly.

Date.....

Signature of the Incharge of Deposit Office  
(alongwith name and designation stamp)

**FORM-D**

(See sub-rule (1) of rule 3 and rule 10)

Serial No.....

**PAY - IN - SLIP FOR DEPOSITS  
UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004**

Counterfoil (1)	Counterfoil (2)
<b>Depositor's copy</b>	<b>Deposit Office's copy</b>
Name of Deposit Office	Name of Deposit Office
Name of depositor..... Address:	Name of depositor..... Address:
Father's/Husband's name:	Father's / Husband's Name:
*Name of Agent (in case of account introduced through agent) with agency code No., date and validity.....	*Name of Agent (in case of account introduced through agent) with agency code No., date and validity.....
Account No..... Date..... (to be filled in by deposit office)	Account No..... Date..... (to be filled in by deposit office)

Ledger Folio.....(to be filled by deposit office)		Ledger Folio.....(to be filled by deposit office)	
Amount of Deposit (Rs.)#		Amount of Deposit (Rs.)#	
Cheque/Demand Draft realisation charges (Rs.)##		Cheque/Demand Draft realisation charges (Rs.)##	
Account Transfer Fee (Rs.)##		Account Transfer Fee (Rs.)##	
Fee for issue of Duplicate Pass Book (Rs.)##		Fee for issue of Duplicate Pass Book (Rs.)##	
Other charges, if any. (Rs.)##		Other charges, if any. (Rs.)##	
TOTAL AMOUNT (Rs.)		TOTAL AMOUNT (Rs.)	
Total Amount in words (Rupees.....)		Total Amount in words (Rupees.....)	
Details of CASH DEPOSIT:		Details of CASH DEPOSIT:	
	<b>AMOUNT</b>		<b>AMOUNT</b>
1000 x		1000 x	
500 x		500 x	
100 x		100 x	
50 x		50 x	
20 x		20 x	
10 x		10 x	
05 x		05 x	
02 x		02 x	
01 x		01 x	
COINS		COINS	
TOTAL (CASH):		TOTAL (CASH):	
Cheque /Demand Draft No. and date:		Cheque /Demand Draft No. and date:	
Bank / Branch on which drawn:		Bank / Branch on which drawn:	
AMOUNT (RUPEES) :		AMOUNT (RUPEES) :	
By (Depositor's signature)		By (Depositor's signature)	
<i>Continued from prepage.....</i>		<i>Continued from prepage.....</i>	
<b>TO BE COMPLETED BY DEPOSIT OFFICE</b>		<b>TO BE COMPLETED BY DEPOSIT OFFICE</b>	
Head of Government Account(to be entered by Deposit Office)# / ##.....		Head of Government Account(to be entered by Deposit Office)# / ##.....	
Received Rs..... (Rupees.....) as detailed hereinabove. For deposit in Account No..... *Agent's Commission at the rate of.....per cent of deposit amounting to Rs..... (Rupees.....)### has been paid at source (under receipt).		Received Rs..... (Rupees.....) as detailed hereinabove. For deposit in Account No..... *Agent's Commission at the rate of.....per cent of deposit amounting to Rs..... (Rupees.....)### has been paid at source (under receipt).	
Cashier's scroll No..... Signature of Cashier (with name and office seal)		Cashier's scroll No..... Signature of Cashier (with name and office seal)	
Supervisor/Incharge of Deposit office alongwith office seal		Supervisor/Incharge of Deposit office alongwith office seal	

<p><b>NOTE:</b> 1. The cheque/demand draft should be in favour of the Deposit Office, or in favour of the depositor duly endorsed in favour of the deposit office. 2. Cheques / Demand Drafts are subject to realisation of the proceeds. <b>* Score out if not applicable</b></p> <p><b>#:</b> <i>In respect of Deposits:-Major Head:8001-National Savings Deposits.</i></p> <p><b>##:</b> <i>In respect of various charges:-Major Head: 8008-Income and Expenditure of NSSF.00.104.Other Incomes.</i></p> <p><b>###:</b><i>In respect of agency commission to agents: Major Head: 8008-Income and Expenditure of NSSF.03.104</i></p>	<p><b>NOTE:</b> 1. The cheque/demand draft should be in favour of the Deposit Office, or in favour of the depositor duly endorsed in favour of the deposit office. 2. Cheques / Demand Drafts are subject to realisation of the proceeds. <b>* Score out if not applicable</b></p> <p><b>#:</b> <i>In respect of Deposits:-Major Head:8001-National Savings Deposits.</i></p> <p><b>##:</b> <i>In respect of various charges:-Major Head: 8008-Income and Expenditure of NSSF.00.104.Other Incomes.</i></p> <p><b>###:</b><i>In respect of agency commission to agents: Major Head: 8008-Income and Expenditure of NSSF.03.104</i></p>
--	--

**FORM - E**

(See sub rule (1) of rule 8 and rule 9)

Serial No.....

**APPLICATION FOR CLOSURE OF AN ACCOUNT UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004**

TO

**The Postmaster/Incharge,**

.....(name of the Deposit office)

**Subject:** Application for withdrawal/closure of account.

Sir,

1. I, ....., son/daughter/wife of..... resident of ..... and depositor of account No. .... (hereinafter referred to as the 'said account') hereby apply for closure of the said account with immediate effect. The interest of Rs..... and deposit of Rs..... TOTAL (INTEREST+DEPOSIT) Rs..... (Rupees.....), \*after adjustment of overpaid interest and/or deduction equal to .....per cent of the deposit, amounting to Rs..... (Rupees.....) and any other charges, recoverable from me in respect of the account in question, may kindly be refunded to me immediately.

2. The Pass Book is enclosed.

Signature or thumb impression of the Depositor

**FOR USE BY THE DEPOSIT OFFICE**

ACCOUNT No.....DATE OF DEPOSIT.....AMOUNT OF DEPOSIT: Rs.....  
Withdrawal on account of Interest Rs..... and deposit Rs..... totalling to Rs..... (Rupees.....) is sanctioned in favour of the depositor.  
\*Recovery of overpaid interest Rs....., deduction or Rs..... and Other Charges (to be specified) Rs..... totalling to Rs..... (Rupees.....) has been adjusted.

**NET AMOUNT PAID Rs..... (Rupees.....)**

**RECEIPT**

Received a sum of Rs..... (Rupees.....)  
from.....(Name of Deposit office) as per details furnished above.

Signature / Thumb impression of the depositor

\*: Score out whichever is not applicable.

**FORM - F**

(See sub-rules (3) and (4) of rule 8)

Serial No.....

**APPLICATION FOR CLOSURE OF ACCOUNT UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004  
BY SPOUSE(JOINT HOLDER) / NOMINEE(S)/LEGAL HEIRS**

TO

**The Postmaster/Incharge,**

.....(name of the Deposit office)

**Subject:** Application for withdrawal /closure of account.

Sir,  
I/WE\* ..... the spouse (Joint holder) / nominee(s) /legal heirs of  
late....., the depositor to the Senior Citizens Savings Scheme, 2004 account  
No..... wish to withdraw the entire amount standing to the credit of the deceased  
in the said account.

Please find enclosed:-

- (i) A certificate in regard to the death of the Depositor.
- (ii)\*A Certificate in regard to the death of Shri/ Shrimati.....and  
Shri/Shrimati..... also the nominee(s) appointed by the Depositor.
- (iii)\*\* Succession Certificate/Letter of Administration with attested copy of probated will of the deceased  
depositor issued under the provisions of the Indian Succession Act, 1925.
- (iv) Pass Book of the Depositor.
- (v)# Letter of Indemnity.
- (vi)# Affidavit.
- (vii)# Letter of disclaimer on affidavit

Signature or thumb Impression of claimant(s)

**Witness**.....

.....(Signature, name and address).....

Date.....

Place.....

**FOR USE BY THE DEPOSIT OFFICE**

Withdrawal of Rs..... (Rupees.....)  
is sanctioned.

**Adjustments made (to be specified)** Rs.....  
(Rupees.....)

**NET** **AMOUNT** **PAYABLE** **Rs**.....  
(Rupees.....)

**RECEIPT TO BE SIGNED BY THE CLAIMANT(S)**

Received a sum of Rs..... (Rupees.....)  
from..... (Name of Deposit office) as per details furnished above, in full  
settlement of our claim.

Signature / Thumb impression of the claimant(s)

\*: Delete whichever is not applicable.

\*\* : Strike off if there is a valid nomination.

#: To be produced by legal heirs, in the absence of nomination(s) for claims upto Rs. 1 lakh.

**ANNEXURE-I TO FORM - F**

(Letter of indemnity)

TO

The Postmaster / Incharge,  
..... (Name of the deposit office)

In consideration of your payment or agreeing to pay me /  
us.....

[Name(s) of Legal heir(s)] the sum of Rs..... (Rupees.....)  
.....) standing in the account No..... under **SENIOR**

**CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004** with your office in the name of .....

..... without production of letters of administration or a succession certificate to the  
estate of the deceased.....(name of the depositor),

I/We..... and  
we..... (sureties) do hereby for ourselves and our

heirs, legal representatives, executors and administrators jointly and severally undertake and agree to indemnify  
you and your successors and assigns against all claims, demands, proceedings, losses, damages, charges and  
expenses which may be raised against or incurred by you by reason or in consequence of having agreed to  
pay/or paying me/us the sum as aforesaid.

In witness whereof we have hereunto set my/our hands at this.....day of.....in  
the presence of witnesses,

Signed and delivered by the above named  
heir/heirs of the deceased.

Signed and delivered by the  
above named sureties (Signature, names and address)

1.

2.

Signature, names and address of witnesses:

1.

2.

ATTESTED

NOTARY PUBLIC



**ANNEXURE-II TO FORM - F**  
(Affidavit)

TO

The Postmaster / Incharge,  
.....(Name of the deposit office)

I / We.....Husband of / wife of late.....  
aged..... aged..... aged..... sons/daughters of the said late.....  
resident of.....do hereby declare and solemnly affirm as under :-

- (1) That I / we am/are the only heir(s) of the deceased.....who died at.....  
on..... I / We alone represent the estate of Shri/Smt.....
- (2) That the deceased.....did not leave any will and therefore I / we are the only successor(s) to  
the estate of the said deceased.

- 1.
- 2.
- 3.

DEPONENTS

**VERIFICATION:** I / We, the above-named deponents do hereby verify on solemn affirmation in.....  
(name of place) that the contents of this affidavit are true to the best of my/our knowledge and nothing material has been  
concealed.

Dated.....

- 1.
- 2.
- 3.

DEPONENTS

ATTESTED

OATH COMMISSIONER

237295/04 - 5

**ANNEXURE-III TO FORM - F**  
(Letter of disclaimer on Affidavit)

TO

The Postmaster / Incharge,  
.....(Name of the deposit office)

I / We (i) .....Husband of / wife of .....  
Resident of.....  
(ii) ..... son/daughter of .....  
(iii) .....son/daughter of .....

do hereby declare and solemnly affirm as follows :-

(1) That Shri/Smt.....died intestate on.....  
leaving behind us.....his/her only heirs.

(2) That we.....heirs of our late father/mother for  
ourselves and on behalf of our heirs, executors, representatives and assigns to hereby relinquish our claims to the balance  
of Rs.....which may be credited to the account sought by our mother/father to be  
opened in the deposit office in the name of the estate of the said.....  
deceased father/mother after the realisation of Draft No.....on .....  
issued by ..... (name of the deposit office) and we  
have no objection whatsoever in the balance in the above-referred account No.....together with  
interest, if any, accrued thereon being paid by the Deposit office to our mother/father  
Mrs./Mr.....

- 1.
- 2.
- 3.

**DEPONENTS**

**VERIFICATION:** I / We, the above-named deponents do hereby verify on solemn affirmation that the contents of this affidavit are true to the best of my/our knowledge and nothing material has been concealed.

Dated.....

- 1.
- 2.
- 3.

**DEPONENTS**

I identify the deponent(s) who is/are personally known to me  
and who has/have signed in my presence.

Dated.....

**Oath Commissioner**

**FORM - G**  
(See rule 11)

Serial No.....

**APPLICATION FOR TRANSFER OF ACCOUNT UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004**

TO

**The Postmaster/Incharge,**  
.....(name of the Deposit office)  
.....

**Subject:** Application for Transfer of account to another Deposit office.

Sir,

1. I, ....., son/daughter/wife of....., Resident of ..... a depositor of account No. ....hereby apply for TRANSFER OF MY ACCOUNT No.....with a deposit, of Rs.....(Rupees.....) under the Senior Citizens Savings Scheme, 2004 to.....(Name and full address of the transferee deposit office)

2. **The Pass Book is enclosed.**

Signature or thumb impression of the Depositor

**Witness.....\***

.....(signature, name and address).....

My specimen signature/thumb impressions, as available in the record of transferer deposit office, are as below:-

(i) Ist Depositor:-

1.	2.	3.
----	----	----

\*Witness.....

\*Witness.....

\*Witness.....

Joint Depositor:-

1.	2.	3.
----	----	----

Countersigned Postmaster/Incharge of Transferer office)	(Countersigned Postmaster/Incharge of Transferer office)	(Countersigned Postmaster/Incharge of Transferer office)
Date.....& office Seal	Date.....& office Seal	Date.....& office Seal

**Forwarded to:**.....(Transferee Deposit office) and necessary entries passed in the office record(s).

Signature & office seal (Transferer Deposit office)  
Date.....

**FOR USE BY THE TRANSFEEE DEPOSIT OFFICE**

A. Received application for transfer of account No.....opened on..... under SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004, in the name of ..... &.....(joint holder, if any) standing on the books of the.....(name and address of the transferer deposit office) showing a deposit of Rs.....(Rupees.....), due to mature on.....

B. The entries in the pass book have been checked, necessary entries indicating transfer, have been made and pass book has been returned to the depositor.

Pass Book received in Original.

Signature of Postmaster / In-charge  
(with office seal) Transferee Deposit Office.

\_\_\_\_\_  
#(Signature/thumb Impression of the depositor )

Date.....

Date.....

**\*: In case of thumb impression.**

#: to be signed on receipt of the pass book at the transferee deposit office.